उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-169/2019/2556/92-2-19-161जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक 11 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद-कानपुर में मा0 काशीराम जी शहरी मलिन बस्ती समग्र विकास योजना से संबंधित निविदाओं एवं डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा योजना से संबंधित निर्माण कार्यो के अनुबंध गठन में व्यापक अनियमितता करने, अपने उच्चाधिकारियों के आदेशों का अतिक्रमण करने, अपने पद एवं दायित्वों के अनुरूप दर विश्लेषण एवं रोड मेटल रेट (आर0 एम0 आर0) स्वीकृत न करने, आई0टी0बी0 के प्रस्तर-25 के अनुसार बिड सिक्योरिटी एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी का सत्यापन न करने एवं ठेकेदारों से दुरभिसंधि कर शासकीय क्षति करने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-106/2018/2085/92-2-18-161जांच/2015, दि0 09-08-2018 द्वारा श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति पीआईयू0-पीलीभीत के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु वित्तनियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-42/ग्रा0अ0वि0/रिया0अ0अधि0अभि0/जांच/पत्रा0/18-19 दि0 24-12-2018 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 03 आरोप में से आरोप सं0-01 व 2 स्थापित नही बताया गया है तथा आरोप सं0-03 आंशिक रूप से स्थापित होना बताया गया है। जांच अधिकारी की जांच आख्या में आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-03 के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी से शासन के पत्र सं0-212/92-2-19-161जांच/2015 दि0 23-01-2019 द्वारा अभ्यावेदन मांगा गया। अपचारी अधिकारी के पत्र सं0-671/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0/अनु0जां0/18-19 दि0 23-02-2019 द्वारा अपना बचाव उत्तर शासन में उपलब्ध कराया गया। अपचारी अधिकारी पर आंशिक रूप से स्थापित पाये गये आरोप सं0-03 के संबंध में विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप सं0-3

वर्ष 2008-09 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्रामों के निर्माण कार्यो की अल्पकालिक निविदा आमंत्रित किये जाने के समय वृहद प्रचास-प्रसार के अभाव एवं निविदा प्रपत्रों का सत्यापन न कराया जाना अनुचित कार्यशैली व लापरवाही का घोतक है जिसके लिये श्री रियाज अहमद सिददीकी को आरोपित किया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी द्वारा आरोप के संबंध में अवगत कराया गया है कि डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों की एन0आई0टी0 सं0-868/आरईएस/टेण्डर/2008-09 दि0 18.08.2008 आरोप के साक्ष्य के साथ प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण उक्त निविदा सूचना अल्पकालीन थी अथवा नहीं, यह स्पष्ट नही है। प्रकरण 10 वर्ष पुराना है, जहॉ तक उन्हें स्मरण है जनपद कानपुर में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अंतर्गत् वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्राप्त कार्यो के लिऐ उक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

एन0आई0टी0 सं0-686/आरईएस/टेण्डर/2008-09 दि0 18.08.2008 से निविदा आमंत्रित की गयी थी। यह निविदा अल्पकालीन निविदा नही थी, क्योंकि इस निविदा आमंत्रण के उपरांत डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों में से अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर द्वारा कुछ निविदाओं को स्वीकार करते हुये अवशेष 36 कार्यो की निविदा आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में आरोप के साक्ष्य एन0आई0 टी0 सं0-1026/आरईएस/टेण्डर/08-09 दि0 11.09.2008 से 36 कार्यो के लिये पुन: निविदाऐं आमंत्रित की गयी थी। आमंत्रित निविदा सूचना के अनुसार इन 36 कार्यो के सापेक्ष प्राप्त तकनीकी निविदाओं को दि0 27.09.2018 को अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0,परि0-कानपुर कार्यालय में खोलने का उल्लेख किया गया था। इन 36 कार्यो के लिए आमंत्रित निविदाओं में से 18 कार्यो की निविदा को पुन: आमंत्रित करने हेतु अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में एन0आई0 टी0 सं0-1155/आरईएस/टेण्डर/08-09 से 18 कार्यो के लिये पुन: निविदा आमंत्रित की गयी। आमंत्रित निविदा सूचना के अनुसार इन 18 कार्यो के सापेक्ष प्राप्त तकनीकी निविदाओं को दि0 04.11.2018 को अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर कार्यालय में खोलने का उल्लेख किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2008-09 के कार्यो को पूर्ण कराने हेतु दिनांक 31.12.2008 तक का समय शासन द्वारा निर्धारित किया गया था। अत: शासन की मंशा के अनुरूप कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर के निर्देशों के अनुपालन में अल्पकालीन निविदाएं करते हुये, अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर को सूचित किया गया था, से स्पष्ट है कि उक्त तीनो निविदा सूचना से आमंत्रित कार्यो की निविदाओं को अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर के कार्यालय में उन्हीं के द्वारा खोली गयी थी। अधीक्षण अभियंता द्वारा निविदाओं को स्वयं खोलते हुये, उसमें अग्रेत्तर समस्त कार्यवाही करना स्वत: यह प्रमाणित करता है कि निविदा आमंत्रण की कार्यवाही अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर के निर्देशों के अनुरूप उनकी सहमति से ही किया गया है।

उपरोक्त स्थिति से यह भी स्पष्ट है कि निविदा आमंत्रण एवं प्रकाशन की कार्यवाही तीन बार की गयी है। प्रथम बार निविदा आमंत्रण के उपरांत द्वितीय बार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही 25 दिन उपरांत तथा तृतीय बार निविदा आमंत्रण की कार्यवाही उससे 30 दिन उपरान्त की गयी, जो स्पष्टत: निविदा का वृहद प्रचार-प्रसार होना प्रमाणित करता है।

निविदा खोलने हेतु अधीक्षण अभियंता, कानपुर द्वारा गठित कमेटी से संबंधित पत्र सं0-2679 दि0 10.09.2008 में उल्लेख किया है कि जनपद कानपुर नगर एवं कानपुर देहात से संबंधित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं पक्की नाली के निर्माण हेतु तकनीकी बिड में रिस्पॉन्सिव ठेकेदारों की वित्तीय बिड दि0 13.09.2008 को खोलने हेतु भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया था। अधीक्षण अभियंता के उक्त पत्र से स्पष्ट है कि तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु समिति का गठन नही किया गया, अपितु तकनीकी बिड में उनके द्वारा रिस्पॉसिव घोषित निविदादाताओं के वित्तीय बिड खोलने की कार्यवाही में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया था, से स्पष्ट है कि उक्त पत्र मात्र दि0 10.09.2008 से पूर्व खोली गयी तकनीकी बिड के उनके द्वारा रिस्पॉसिव घोषित निविदादाताओं के वित्तीय बिड खोलने से संबंधित है। अत: प्रमाणित है कि दि0 10.09.2008 से पूर्व एन0आई0टी0 सं0-868 दि0 18.08.2008 से आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर द्वारा रिस्पॉसिव घोषित निविदा दाताओं के वित्तीय बिड खोलने से संबंधित पत्र है।

कानपुर नगर एवं कानपुर देहात के अवशेष 36 कार्यो की निविदा एन0आई0टी0 सं0-1026 दिनांक 11.09.2008 से आमंत्रित की गयी थी तथा पुन: एन0आई0टी0 सं0-1155 दि0 10.10.2008 से इन्ही 36

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यो में से अवशेष 18 कार्यो की निविदाएं आमंत्रित की गयी थी। निविदा सूचना दि0 11.09.2008 के अनुसार इस एन0आई0टी0 के विरूद्ध प्राप्त होने वाले तकनीकी बिड दि0 27.09.2008 को खोली जानी थी, तथा निविदा सूचना 10.10.2008 के अनुसार इस एन0आई0टी0 के विरूद्ध प्राप्त होने वाले तकनीकी बिड दि0 04.11.2008 को खोली जानी थी। अत: स्पष्ट है कि अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर द्वारा एन0आई0टी0 सं0-1026 दि0 11.09.2008 तथा एन0आई0टी0 सं0-1155 दि0 10.10.2008 से आमंत्रित कार्यो की तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड मूल्यांकन हेतु उक्त पत्र से समिति गठित नही की गयी थी। अधीक्षण अभियंता, कानपुर के पत्र सं0-853 दि0 18.09.2018 के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0 द्वारा उपरोक्त दोनो आमंत्रित 36 कार्यो के सापेक्ष तकनीकी एप्रेजल एवं वित्तीय एप्रेजल की कार्यवाही हेतु कोई समिति गठित नही की गयी तथा न ही तकनीकी एप्रेजल एवं वित्तीय एप्रेजल की कार्यवाही में मुझे सम्मिलित रखा गया।

इसी प्रकार बिड सिक्योरिटी/परफारमेन्स सिक्योरिटी के सत्यापन कराये बिना दुरभिसंधि करके फर्जी पासबुक स्वीकार करने के संबंध में अपचारी द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0आई0टी0 सं0-868 दि0 18.08.2008, एन0आई0टी0-1026 दि0 11.09.2008 एवं एन0 आई0टी0 सं0-1155 दि0 10.10.2008 से आमंत्रित किए कार्यो के सापेक्ष प्राप्त तकनीकी बिडो को अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0,परि0-कानपुर द्वारा खोला गया। प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन हेतु कोई समिति गठित नहीं की गई, तकनीकी बिड के साथ प्राप्त प्रपत्रों सहित प्रतिभूतियों के सत्यापन हेतु उन्हें उपलब्ध नही कराया गया तथा न ही सत्यापन हेतु कोई पत्र ही लिखा गया। आरोप के साक्ष्य में रक्षित वित्तीय बिड खोलने संबंधी प्रपत्रों से यह भी स्पष्ट है कि वित्तीय बिड खोलने की कार्यवाही में भी मुझे सम्मिलित नहीं रखा गया है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय बिड में मात्र ठेकेदार की दर खोली जाती है, जिसमें बिड सिक्योरिटी अर्थात प्रतिभूतियों का कोई उल्लेख नहीं होता है।

अधीक्षण अभियंता,परि0-कानपुर ने अपने पत्र सं0-853 दि0 18.09.2018 में तकनीकी बिड के साथ बिड सिक्योरिटी कितनी धनराशि की एवं किस रूप में प्राप्त हुई थी, के संबंध में उल्लेख किया है कि अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अधीक्षण अभियंता, कानपुर द्वारा इंगित उक्त कथन गम्भीर विचारणीय है क्योंकि बिड सिक्योरिटी की धनराशि का नियमानुसार इन्टरेस्ट सिक्योरिटी बियरिंग पंजिका में प्रविष्टि की जाती है, तथा वापस किए जाने की प्रविष्टि भी रजिस्टर में की जाती है।

अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर ने अपने पत्र सं0-853 दि0 18.09.2018 में बिड सिक्योरिटी/परफारमेंस सिक्योरिटी सत्यापन हेतु परि0-कानपुर कार्यालय से प्रखण्ड-कानपुर को भेजे जाने संबंधी पत्र के संबंध में उल्लेख किया गया है कि अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अत: उपरोक्त से स्वत: प्रमाणित है कि बिड सिक्योरिटी/परफारमेन्स सत्यापन हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0 -कानपुर द्वारा प्रखण्डीय कार्यालय को प्रेषित ही नहीं किये गये। आरोपित चारो कार्यो में से एक-एक कार्य एन0आई0टी0 सं0-1026 दि0 11.09.2008 एवं एन0आई0टी0 सं0-1155 दि0 10.10.2008 से संबंधित कार्य है, तथा अवशेष दो कार्य एन0आई0टी0 सं0-868 दि0 18.08.2008 से संबंधित हो सकता है जिसकी पुष्टि अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0,कानपुर द्वारा LETTER OF ACCEPTANCE में बिड किस तिथि की है, का उल्लेख से हो रही है।

अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर द्वारा चारो कार्यो के लिये LETTER OF ACCEPTANCE से प्रमाणित है कि कार्य के सापेक्ष निविदादाताओं द्वारा बिड सिक्योरिटी के रूप में दी गयी प्रतिभूति अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर को परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में को मान्य नही था इसलिए

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुबंध गठन हेतु जारी दिशा निर्देश टी-2 के क्लॉज 32 के अनुरूप ठेकेदारों से परफारमेनस सिक्योरिटी उपलब्ध कराने हेतु पृथक से मॉगी गयी थी।

बिड सिक्योरिटी एस0बी0डी0 के आई0टी0बी0 के प्रस्तर-16 के अनुसार लिया जाता है, जिसको एस0बी0डी0 के आई0टी0बी0 के प्रस्तर-32 के अनुरूप ठेकेदार द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी के पदनाम से दी गयी परफारमेन्स सिक्योरिटी के आधार पर अनुमन्य गठन होने के उपरांत बिड सिक्योरिटीवापस कर दी जाती है। प्रस्तर-32 में मात्र शिडयूल कामर्शियल बैक के एफ0डी0आर0 अथवा बैंक गारण्टी के रूप में परफारमेन्स सिक्योरिटी लेने की व्यवस्था है जिसके विपरीत आरोप के साक्ष्य से स्पष्ट है कि पोस्ट आफिस पासबुक के आधार पर अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर द्वारा अनुबंध गठन किया गया था। आरोपित चारो कार्य LETTER OF ACCEPTANCE अधीक्षण अभियंता द्वारा जारी किया गया, जिसमें निविदादाता की निविदा स्वीकृत करते हुये अनुबंध गठन हेतु परफारमेन्स सिक्योरिटी उपलब्ध कराने की अपेक्षा करते हुये प्रतिलिपि प्रखण्ड-कानपुर को भेजी गयी। निविदादाताओं द्वारा परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में मांगी गयी प्रतिभूति के सापेक्ष आरोप में इंगित चारो फर्जी पासबुक सीधे अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0 परि0-कानपुरको उपलब्ध करायी गयी थी, तथा अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर द्वारा इसको सत्यापन हेतु मुझे भेजा ही नही गया था तथा इसी फर्जी पासबुक में अंकित धनराशि के आधारपर अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, कानपुर द्वारा अनुबंध गठन की कार्यवाही की गयी थी। इसका सत्यापन का दायित्व भी अधीक्षण अभियंता का था।

अत: उपरोक्तानुसार निविदा मूल्यांकन समिति में मुझे सम्मिलित न रखना, बिड प्रपत्रों तथा बिड सिक्योरिटी का सत्यापन मुझे उपलब्ध न कराना, परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में जमा की गयी। उक्त पोस्ट आफिस पासबुक को सत्यापन हेतु उपलब्ध न कराना प्रमाणित है। अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित निविदा आमंत्रित करने में कोई आपत्ति नहीं की गयी। किसी भी ठेकेदार के निविदा संबंधी कोई भी प्रपत्र को मुझे न तो दिखा गया तथा न ही दिया गया। कार्य अधीक्षण अभियंता महोदय की अधिकार सीमा के अंतर्गत होने के कारण आमंत्रित निविदाओं के सापेक्ष निविदादाताओं के तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का मूल्यांकन सहित अनुबंध गठन की कार्यवाही में अधोहस्ताक्षरी को विरत रखते हुये, अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-कानपुर द्वारा स्वयं निर्णय लिया गया। महोदय यह भी अवगत कराया गया है कि जब उन्हें कोई प्रपत्र दिखाया गया तथा न ही दिया गया तो बिना निविदा प्रपत्र के अनुबंध गठन की संस्तुति किस आधार पर किया जाता, जिसके कारण मेरे द्वारा कोई संस्तुति नही की गयी। अत: प्रमाणित है कि शासकीय क्षति के प्रकरण में मैं सम्मिलित न होना प्रमाणित होने के कारण लगाये गये अन्य आरोप पूर्णत: साक्ष्यविहीन, आधारहीन, काल्पनिक तथा मनगढन्त है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

आरोप संख्या-3 में लगाये गये आरोपों एवं बचाव उत्तर का परिसीलन एवं परीक्षण किया गया। जॉच में अभिलेखों के प्रस्तुत अधिकारी से यह मॉग की गयी कि अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिशासी अभियंता को निविदा विज्ञापन करने एवं अल्पकालीन निविदा प्रकाशन हेतु कोई लिखित आदेश जारी किया था। इस संबंध में प्रखण्ड कार्यालय कानपुर या आरोपी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी द्वारा कोई लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रपत्रों के परीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा है कि समस्त आदेश निर्देश मौखिक जारी किये गये थे, जिन मौखिक आदेशों का परिपालन तत्का0 अधिशासी अभियंता, श्री रियाज अहमद सिददीकी द्वारा किया गया, क्योकि यदि इन कार्यवाहियों व प्रक्रियाओं से अधीक्षण अभियंता को असहमत दर्शाते हुये समस्त प्रक्रियाओं की कार्यवाही निरस्त करनी चाहिए थी, जिसे न कर उनके द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बिड के मूल्यांकन एवं अनुबंध की कार्यवाही की गयी। इस प्रकार श्री रियाज अहमद सिददीकी इन गलत प्रक्रियाओं के परिपालन के लिये आंशिक रूप से दोषी पाये जाते है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी, श्री रियाज अहमद सिददीकी द्वारा अपने अभ्यावेदन में लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो उनके द्वारा जांच अधिकारी को बचाव उत्तर देते समय किया गया है। अतएव अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन में किसी प्रकार की नवीनता न होने के दृष्टिगत जांच अधिकारी के निष्कर्ष में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का अवसर नही है।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अधीक्षण अभियंता द्वारा अधिशासी अभियंता को निविदा विज्ञापन करने एवं अल्पकालीन निविदा प्रकाशन हेतु कोई लिखित आदेश जारी किये जाने संबंधी कोई अभिलेख अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। समस्त आदेश/निर्देश मौखिक जारी किये गये थे, जिनका परिपालन अपचारी अधिकारी द्वारा किया गया, जबकि अपचारी अधिकारी को बिड मूल्यांकन एवं अनुबंध की कार्यवाही न कर अधीक्षण अभियंता, द्वारा की जा रही कार्यवाहियो व प्रक्रियाओं को असहमति व्यक्त करनी चाहिये थी। अतएव उक्त अनियमितता हेतु श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति पीआईयू0-पीलीभीत के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 09.08.2018 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें भविष्य में कार्यो के प्रति और अधिक सजग रहकर कार्य करने हेतु कठोर चेतावनी देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 169/2019/2556(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति पीआईयू0-पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0 , उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in